राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

सत्यमेव जयते

कार्तिक 10, शुक्रवार, *शाके* 1941–नवम्बर 1, 2019

Kartika 10 Friday, Saka 1941–November 1, 2019

भाग-1(ख)

महत्त्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएँ

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 31, 2019

संख्या प 7(198)परि/नियम/मु./2006/पार्ट I /27145 :–राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 4.3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प 7 (198)परि/नियम/मु./2006/पार्ट I /58990 दिनांक 01.10.2014 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा नीचे उल्लेखित सारणी में कॉलम संख्या 2 में विनिर्दिष्ट वाहनों के लिए क्रम से पूर्व विशिष्ट पंजीयन क्रमांक आवंटन करने एवं किसी व्यक्ति को उसके नये यान के लिए उसके पुराने यान को पहले से आवंटित पुराने पंजीयन क्रमांक रखने के लिए शुल्क राशि, उसके कॉलम संख्या 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट प्रकार से विहित करती हैः–

सारणी

क्रम संख्या	यान की श्रेणी एवं विशिष्ट पंजीयन क्रमांक का वर्णन	वर्तमान में चल रही श्रेणी हेतु शुल्क राशि (रुपये)	वर्तमान में चल रही श्रेणी से प्रथम अग्रिम (0001 से 9999) हेतु शुल्क राशि	वर्तमान में चल रही श्रेणी से द्वितीय अग्रिम (0001 से 9999) हेतु शुल्क राशि	वर्तमान में चल रही श्रेणी से तृतीय अग्रिम (0001 से 9999) हेतु शुल्क राशि	वर्तमान में चल रही श्रेणी से चतुर्थ अग्रिम (0001 से 9999) हेतु शुल्क राशि	वर्तमान में चल रही श्रेणी से पंचम अग्रिम (0001 से 9999) हेतु शुल्क राशि
1.	दुपहिया वाहन						
	(i) पंजीयन क्रमांक 0001, 0005, 0006, 0007, 0009, 0011, 0786, 1111, 2414, 4141, 8055, एवं 9999 के आवंटन के लिए	10000	कॉलम संख्या 3 में अंकित शुल्क राशि का 200 प्रतिशत	कॉलम संख्या 3 में अंकित शुल्क राशि का 300 प्रतिशत	कॉलम संख्या 3 में अंकित शुल्क राशि का 400 प्रतिशत	कॉलम संख्या 3 में अंकित शुल्क राशि का 500 प्रतिशत	कॉलम संख्या 3 में अंकित शुल्क राशि का 600 प्रतिशत
	(ii) अन्य पंजीयन क्रमांको के लिए	5000					
	(iii) पुराने यान पर आवंटित किसी भी पंजीयन	10000					

	क्रमांक को नये यान पर रखने (retain) हेतु						
2.	दुपहिया से भिन्न यान						
	(i) पंजीयन क्रमांक 0001, 0003, 0005, 0007, 0009 एवं 0786 के आवंटन के लिए	101000	कॉलम संख्या 3 में अंकित शुल्क राशि का 200 प्रतिशत	कॉलम संख्या 3 में अंकित शुल्क राशि का 300 प्रतिशत	कॉलम संख्या 3 में अंकित शुल्क राशि का 400 प्रतिशत	कॉलम संख्या 3 में अंकित शुल्क राशि का 500 प्रतिशत	कॉलम संख्या 3 में अंकित शुल्क राशि का 600 प्रतिशत
	(ii) पंजीयन क्रमांक 0002, 0004, 0006, 0008, 0010, 0011, 0018, 0021, 0045, 0051, 0081, 0099, 0100, 0101, 0108, 0111, 0555, 0777, 0999, 1000, 1008, 1111, 2727, 3636, 4545, 5555, 7777, 8181 तथा 9999 के लिए	51000					
	(iii) पंजीयन क्रमांक 0027, 0090, 0900, 0909, 1100, 2100, 2121, 2414, 4141, 5100, 5454, 6363, 7000, 7272, 8055, 9000, 9009 तथा 9090 के लिए	33000	कॉलम संख्या 3 में अंकित शुल्क राशि का 150 प्रतिशत	कॉलम संख्या 3 में अंकित शुल्क राशि का 200 प्रतिशत	कॉलम संख्या 3 में अंकित शुल्क राशि का 250 प्रतिशत	कॉलम संख्या 3 में अंकित शुल्क राशि का 300 प्रतिशत	कॉलम संख्या 3 में अंकित शुल्क राशि का 350 प्रतिशत
	(iv) अन्य 3 या 4 समान अंक वाले पंजीयन क्रमांकों के लिए	21000	कॉलम संख्या 3 में अंकित शुल्क राशि का 150 प्रतिशत	कॉलम संख्या 3 में अंकित शुल्क राशि का 200 प्रतिशत	कॉलम संख्या 3 में अंकित शुल्क राशि का 250 प्रतिशत	कॉलम संख्या 3 में अंकित शुल्क राशि का 300 प्रतिशत	कॉलम संख्या 3 में अंकित शुल्क राशि का 350 प्रतिशत
	(v) शेष पंजीयन क्रमांक	11000					
	(vi) पुराने यान पर आवंटित किसी भी पंजीयन क्रमाक	1,01,000					

	को नये यान पर रखने (retain) हेतु	

स्पष्टीकरणः–

(i) वर्तमान में चल रही पंजीयन श्रेणी से पंचम अग्रिम श्रेणी के पश्चात् प्रत्येक अग्रिम पंजीयन श्रेणी में पंजीयन क्रमांक आंवटन शुल्क राशि पूर्ववर्ती अग्रिम श्रेणी के पंजीयन क्रमांक आवंटन शुल्क राशि में कॉलम संख्या 3 में निर्धारित शुल्क राशि के समान राशि जोडकर गणना की जाएगी।

(ii) वाहनों पर अग्रिम पंजीयन क्रमांक आवंटन समय–समय पर परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित अग्रिम पंजीयन आवंटन सीमा के अध्यधीन रहेगा।

(iii) नये यान पर एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर इच्छित पंजीयन क्रमांक शुल्क राशि का निर्धारण विभाग द्वारा उस श्रेणी की निर्धारित दरों को आरक्षित दर मानते हुए, ई–नीलामी द्वारा अधिकतम बोली के आधार पर किया जाएगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

महेन्द्र कुमार खींची,
संयुक्त शासन सचिव ।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।